International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030
Impact Factor: RJIF 5.24
www.advancedjournal.com
Volume 3; Issue 2; March 2018; Page No. 1007-1010

भारत में महिला सशक्तीकरण : सामाजिक समस्याऍ एवं समाधान

डॉ० पपली राम[1], डॉ० नरेन्द्र सीमतवाल[2], अजय कुमार शर्मा[3]
[1, 2] एसिटेन्ट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, सनराईज विश्वविद्यालय, अलवर राजस्थान, भारत।
[3] शोद्यार्थी, समाजशास्त्र विभाग, सनराईज विश्वविद्यालय, अलवर राजस्थान, भारत।

सारांश
आज महिलाएं लगभग सभी क्षेत्रों में पुरूषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। आज भी हमारे समाज में बहुत से ऐसे सामाजिक अवरोध है जैसे– सामाजिक रूढियां, बाल–विवाह , दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलु हिंसा, यौन–उत्पीडन, लैगिंक भेदभाव, गरीबी और अज्ञानता जिसके कारण महिलाओं को सशक्त होने में बाधा उत्पन्न हो रही है। सामाजिक रूढियॉ, महिलाओं के सशक्तीकरण में सबसे बडी बाधक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 16 से 49 साल की 63 फीसदी महिलाओं को अपने घर में फैसले लेने का अधिकार नहीं है। महिलाएं केवल घर के बाहर ही नही बल्कि घर में भी सुरक्षित नही है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों की रिपोर्ट का अवलोकन करे तो पिछले वर्ष के रिकार्ड के अनुसार महिलाओं के लिए उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश सबसे अधिक असुरक्षित राज्यों के रूप में उभर रहे है। राजस्थान भी महिलाओं के अपराध के मामले में पीछे नहीं है। आज महिला भ्रूण हत्या की बुराई नगरीय और ग्रामीण समाज के प्रत्येक वर्ग में दिखई पडती है। वही महिलाओं की दृष्टि से केन्द्रशासित राज्य बेहतर हैं। जब भी महिलाओं को मौका मिला है उन्होनें बेहत्तर कार्य किये है। महिलाओं ने जहां एक ओर स्वाधीनता आन्दोलन में पुरूषों के साथ बराबर कदम मिलाकर सहयोग दिया वहीं आज राजनीति में भी अहम भूमिका का निर्वहन कर रही हैं।

मूल शब्द : महिला, सामाजिक, परम्पराऍ, समस्याएं, अत्याचार, सुरक्षा, जागरूकता, राजनैतिक, समाधान।

प्रस्तावना
भारतीय समाज में महिलाऍ एक ऐसा सामाजिक वर्ग है, जिसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आकलन करने पर स्पष्ट होता है कि विभिन्न काल खण्डों में निरन्तर उस समय विशेष के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारकों के परिणामस्परूप सांस्कृतिक परम्पराओं के माध्यम से उन पर अनेक निर्योग्यताए एवं प्रतिबन्ध लागू किये गये और उन्हे विभिन्न अधिकारों से वंचित किया जाता रहा है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही नारी को विभिन्न दैवीय रूपों में वर्णित किया गया है, जैसे शिक्षा की देवी, भक्ति की देवी एवं आर्थिक सम्पन्नता की सूचक लक्ष्मी की देवी आदि। नारी को अनेक रूपों में पूजा जाता रहा है। लेकिन व्यावहारिक धरातल पर महिलाओं की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि इन सारे दैवीय रूपों में नारी वर्णन पाखण्ड व आडम्बर युक्त है क्योंकि जिसे शिक्षा की देवी सरस्वती के रूप में पूजा जाता है उसे ही शक्ति साधनों से वंचित रखा गया है।

वास्तव में किसी भी समाज में चाहे विकसित हो या विकासशील या फिर पिछडा, जब एक जीवन, नारी के रूप में जन्म लेता है तो प्रारम्भ से ही उसके साथ शिक्षा, रहन–सहन, मूलभूत सुविधाओं , पालन–पोषण आदि में भेदभाव किया जाता है और समाज में उसे जीवन के प्रत्येक स्तर पर शारीरिक एवं मानसिक उत्पीडन व शोषण का शिकार होना पड़ता है। साथ ही पुरूष प्रधान समाज में उसे निम्न या द्वितीय श्रेणी का मानकर व्यवहार किया जाता रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि महिलाओं के साथ भेदभाव शोषण व उत्पीडन सभी समाजों, वर्गों, जातियों, धर्मों व सम्प्रदायों में विधमान है।[1]

समाज की प्रगति का निर्धारण भी महिलाओं की स्थिति से ही पता चलता है। आज महिलाएं लगभग सभी क्षेत्रों में पुरूषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कार्य कर रहीं हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत ही कम है। आज भी हमारें समाज में बहुत से ऐसे सामाजिक अवरोध हैं, जैसे– सामाजिक रूढ़ियॉ, बाल–विवाह, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, यौन–उत्पीड़न, लैंगिक भेदभाव, गरीबी और अज्ञानता आदि, जिसके कारण महिलाओं को सशक्त होने में बाधा उत्पन्न हो रही है। सामाजिक रूढ़ियॉ महिलाओं के सशक्तीकरण में सबसे बड़ी बाधक है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का घर से निकलना अभी भी मान्य नहीं है। पारिवारिक परिवेश में परिवार एक ऐसा आधार है, जहॉ महिला कई सारे रिश्तों से बंधी होती है। अगर कोई महिला जागरूक है और वह अपने समाज या गॉव के लिए कुछ करना भी चाहती है तो पारिवारिक रिश्ते उसके पांव में बेड़ी के रूप में कार्य करते हैं। परिवार के सदस्यों को महसूस होता है कि अगर उनकी पत्नी, बहू या बेटी घर से बाहर जाएगी, समाज में कार्य करेंगी, तो उनके परिवार की समाज में बदनामी होगी। अभी भी काफी लोगों की यह सोच है कि वंश बेटों से ही चलता है। बेटों के मुकाबले बेंटियों की सेहत पर कम ध्यान दिया जाता है। इन्हीं कुछ रूढ़ीवादी कारणों की वजह से परिवार के सदस्य महिला को घर की दहलीज के बाहर पांव नहीं रखने देते हैं। महिलाओं को घर के फैसलों से दूर रखा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 16 से 49 साल की 63 फीसदी महिलाओं को अपने घर में फैसले लेने का अधिकार नहीं हैं। घरेलू फैसलों में भी इन्हें महत्व नहीं दिया जाता है। इन्हें अपनी स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, दैनिक जरूरत की चीजों और घर के सामान की बड़े स्तर पर खरीद–फरोख्त, रिश्तेदारों से मिलने की इच्छा आदि में भी अकेले निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। यहॉ तक कि वह अपने निजी जीवन से जुड़े फैसले लेने में भी स्वतंत्र नहीं है। अपने जीवन में उन्हें कभी आगे बढ़कर बोलने का मौका नहीं मिलता, उनके सुझावों को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया जाता। अपने जीवन में कभी किसी महत्वपूर्ण कार्य में भागीदारी न

होने से महिलाओं में आत्म विश्वास बहुत कमजोर हो जाता है।[2]

सामाजिक समस्याएँ

महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व होने के पहले ही उनका विवाह कर उन पर पारिवारिक बोझ थोप दिया जाता है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दुनिया के 40 प्रतिशत बाल विवाह होते हैं, 49 प्रतिशत लडकियों का विवाह 18 वर्ष से कम आयु में हो जाता है। बाल विवाह राजस्थान, बिहार, मध्यप्रदेश, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होते है। राजस्थान में 82 फीसदी विवाह 18 साल से पहले हो जाते हैं बाल–विवाह का मुख्य कारण ही हमारे देश में बेटियों को बेटों की तुलना में पारिवारिक बोझ समझा जाता है। बेटियों को पराया धन मानकर उनकी शिक्षा पर उतना खर्च नहीं किया जाता है, जितना बेटों की शिक्षा पर होता है। मॉ की ममता चाहकर भी गर्भ में पल रहें भ्रूण को मारे जाने से बचा नहीं पाती हैं, क्योंकि वह खुद ही पुरूष प्रधान और दहेज युक्त समाज से भयभीत रहती है। भ्रूण हत्या का प्रचलन पैसेवालों में अधिक है। हर रोज अखबारों में कोई–न–कोई ऐसी खबर जरूर मिल जाती है, जिसमें दहेज के कारण अत्याचार दिखाई देता है। दहेज प्रथा भी भ्रूण हत्या का सबसे बड़ा कारण है। दहेज में ससुराल वालों से टीवी और मोटरसाईकिल की मॉग पूरी नहीं होने पर पत्नी को घर से निकाल कर कुछ पुरूषों द्वारा दूसरी शादी कर ली जाती है। कन्या भ्रूण हत्या का शिकार भी महिलाओं को ही भुगतना पड़ता है। समाज में कुछ लोग अपनी संतान के रूप में लड़की की बजाय लड़का चाहते हैं। कुछ लोगों को इतना भी समझ नहीं है कि महिलाओं से ही मानवजाति का अस्तित्व कायम रहा है, कारण की बच्चा पैदा करने की शक्ति पुरूष में नहीं है यानि पुरूष गर्मधारण नहीं कर सकते। हमलोग यह भी जानते हैं कि बच्चे को लिंग का निर्धारण पुरूष के शुक्राणु (क्रोमोसोम) के आधार पर होता है, फिर भी बेटी पैदा होने पर समाज में कुछ लोगों द्वारा महिलाओं को ही दोषी ठहराया जाता है। इससे महिलाओं के मन में कुंठा उत्पन्न होती है। कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को बढ़ावा देने में आधुनिक प्रौद्योगिकी का भी बड़ा हाथ है।[3]

घरेलू हिंसा का शिकार महिलाओं को ही ज्यादा होना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की नयी एजेंसी युएन वुमैन द्वारा कई महिलाओं पर उनके प्रति अपने पति के रवैये को लेकर सर्वे किया गया था। इसमें पहली रिपोर्ट के अनुसार भारत में आज भी 39 फीसदी से अधिक लोग पति के हाथों पत्नी की पिटाई को जरूरी मानते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नयी दिल्ली में महिलाएं केवल घर के बाहर की नहीं, बल्कि घर में भी सुरक्षित नहीं है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के खिलाफ उनके परिवार के किसी सदस्य द्वारा हिंसा के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में यह खुलासा हुआ है कि जनवरी 2011 से दिसम्बर 2011 तक छः महानगरों– दिल्ली में 1498, हैदराबाद में 1335, कोलकाता में 557, बेंगलुरू में 458 मुंबई में 393 और चेन्नई में 229 मामलें' दर्ज किये गये। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में महिला एवं बाल विकास मंत्री, भारत सरकार श्रीमती कृष्णा तीरथ ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ो का हवाला देते हुए कहा कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण कानून 2005 के तहत देश में 2010, 2011 और 2012 में क्रमशः 12036, 9873 और 4567 मामलें दर्ज किये गये।[4]

आंकडों पर गौर करें तो स्पष्ट हो जाता है कि देश में वर्ष 2004 में बलात्कार के कुल 18233 मामले दर्ज हुए जबकि वर्ष 2009 में यह आंकडा बढकर 21397 हो गया। इसी तरह वर्ष 2012 में 24923 मामले दर्ज किए गए और 2014 में यह संख्या 36735 हो गयी। गौर करें तो 2014 का आंकडा वर्ष 2004 के मुकाबले दोगुनी है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों की रिपोर्ट का अवलोकन करें तो पिछले वर्ष के रिकार्ड के अनुसार महिलाओं के लिए मध्यप्रदेश सबसे अधिक असुरक्षित राज्य के रूप में उभरा है। पिछले वर्ष 2016 यहां सबसे अधिक 5076 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। ऐसीआर की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में देश में 3 लाख 38 हजार 954 महिला हिंसा के मामले दर्ज हुए जहॉ उत्तरप्रदेश पहले स्थान पर रहा और पश्चिम बंगाल दुसरे स्थान पर है। जहॉ उत्तरप्रदेश में 49262 महिला अपराध के मामले दर्ज हुए जबकि पश्चिम बंगाल में 32513 मामले दर्ज किये गये। इसी तरह राजस्थान में 3759, उत्तरप्रदेश में 3467, महाराष्ट्र में 3438 और दिल्ली में 2096 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। आमतौर पर राजनीतिज्ञों द्वारा बिहार में जंगलराज की बात कही जाती हैं लेकिन गौर करें तो यह राज्य महिलाओं की सुरक्षा के मामले में मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश , राजस्थान और दिल्ली से बेहतर है। आंकडों से उजागर हुआ है कि 2014 में बिहार में बलात्कार के कुल 1127 मामले दर्ज हुए। आमतौर पर बलात्कार के कारणों में अशिक्षा को भी जिम्मेदार माना जाता है लेकिन विडंबना यह है कि संपूर्ण साक्षरता के लिए जाना जाने वाला राज्य केरल में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। यहां पिछले वर्ष 1347 महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले दर्ज किये गये।[5]

राजस्थान में 2015 में कुल 1825 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 1232 मामले बलात्कार, 539 यौन उत्पीडन और हत्या के 54 मामले थे। इन मामलों के सम्बन्ध में कुल 2099 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। दुष्कर्म के मामले में जिलों के स्तर को देखे तो में जयपुर ग्रामीण 65, भीलवाडा 69, उदयपुर 69 और डूंगरपुर 56 मामले शामिल है। श्रीगंगानगर में 37 यौन उत्पीडन के मामले सामने आए। इसके बाद अजमेर में 36 और अलवर और जयपुर पश्चिम में 32 मामले सामने आए। भीलवाडा में हत्या के मामले में सबसे ज्यादा संख्या 6 थी। उसके बाद उदयपुर में 5, अलवर और सवाई माधोपुर में 4 मामले दर्ज हुए।

प्रदेशभर में 2016 में कुल 1962 मामले पंजीकृत हुए। इसमें 1347 दुष्कर्म, 577 यौन उत्पीडन और 38 हत्याएं थी। कुल 2264 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। सबसे अधिक दुष्कर्म वाले जिलों में उदयपुर 86, बांसवाडा 64 और भीलवाडा व जयपुर ग्रामीण 58 थे। श्री गंगानगर मे यौन उत्पीडन के मामले में सबसे ज्यादा संख्या 39 दर्ज किए गए। उसके बाद जयपुर पश्चिम में 30, सीकर और अलवर में 29 मामले दर्ज किए गए। हनुमानगढ, श्रीगंगानगर और जोधपुर में हत्या के 03 मामले दर्ज किए गए, इसके बाद धौलपुर , जालौर, सवाई माधोपुर, अलवर , भीलवाडा, सीकर और बाडमेर के दो मामले सामने आए। जबकि 2017 में कुल 2126 मामले दर्ज किए गए। इसमें 1318 दुष्कर्म, 761 यौन उत्पीडन ओर 47 हत्याएं थी। इसमें अलवर में सबसे अधिक दुष्कर्म के 85 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद उदयपुर 75 और जयपुर ग्रामीण में 65 मामले दर्ज हुए। यौन उत्पीडन के मामलों में जयपुर पश्चिम में सबसे अधिक 79, कोटा में 53 और श्रीगंगानगर में 49 दर्ज हुए। बाडमेर में सबसे अधिक हत्या के मामले 6 थे। इसके बाद अलवर में 4 और कोटा में 3 मामले सामने आए।[6]

महिला शोषण का एक ज्वलन्त उदाहरण कन्या भ्रूण–हत्या के रूप में सर्वथा परिलक्षित है। कन्या भ्रूण हत्या की बुराई नगरीय और ग्रामीण समाज के प्रत्येक वर्ग में दिखाई पडती है तथा उच्च एवं

मध्यम आय–वर्ग, शिक्षित परिवार एवं स्वावलम्बी महिलाओं के परिवारों में उक्त बुराई तेजी से पनपी। 'कन्या–भ्रूण–हत्या' कानून के तहत भी एक अपराध है। इसके लिए सरकार ने मोबाइल अल्ट्रा साउन्ड मशीन पर प्रतिबन्ध लगा रखा है। लिंग जॉच और कन्या भ्रूण हत्या के लिए वे परिजन जिम्मेदार है, जो अपनी बहू–बेटियों को इसके लिए प्रेरित करते है या स्वयं वे महिलाएं जो स्वेच्छा से यह निर्णय लेती है या फिर वे चिकित्सक जो सलाह देते है लिंग जॉच करवाने की ओर प्रेरित करते है, भ्रूण हत्या के लिए।[7]

सुधार गृह (बाल गृह) में भी महिलाओं और लड़कियों की स्थिति में भी इस प्रकार के आरोप लगाये जाते हे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी माना है कि लड़कियों/महिलाओं से छेड़खानी की बढ़ती घटनाओं का मामला किसी एक शहर का नहीं, बल्कि लगभग सभी शहरों में लड़कियॉ खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लड़कियॉ या महिलाऍ कहीं भी सुरक्षित नहीं है। सरेआम लड़कियों से छेड़ खानी और दुराचार करने वाले ज्यादातर मामलों में आरोपी आसानी से छूट जाते हैं, इससे उनका हौसला बढ़ जाता है। छेड़खानी के तो ज्यादातर मामलों में पुलिस मामला ही दर्ज नहीं करतीं। मामला दर्ज भी हुआ, तो धारांए बेहद साधारण लगायी जाती हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय परामर्श और प्रबंधन फर्म बूज एंड कंपनी 2011 द्वारा किए गए सर्वेक्षण में 45% महिलाओं का मानना है कि कार्य–स्थल पर उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। कई महिलओं को मॉ बनने के बाद कार्य क्षेत्र से जुड़े रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। 50 फीसदी से ज्यादा महिलाओं ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। युएन वूमैन रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को घर पर बुरे व्यवहार के साथ–साथ दफ्तर में भी तनाव का सामना करना पड़ता है, तथा महिलाओं को पुरूषों की तुलना में 30 प्रतिशत कम वेतन मिलता है। इस रिपोर्ट को जारी करने वाली युएम वुमैन की सहायक महासचिव तथा उपकार्यकारी निदेशक लक्षमीपुरी के अनुसार, यदि भारतीय अर्थ–व्यवस्था में महिलाओं को पुरूषों के समान अवसर दिये जाये तो देश की विकास दर में 4.2 फीसदी का इजाफा हो सकता है। भारत में 80 फीसदी महिलाएं असुरक्षित माहौल में काम करती हैं। भारत में ही 35 फीसदी महिलाएं अपने करीबी दोस्त या रिश्तेदारों द्वारा ही शारीरिक हिंसा की शिकार होती हैं, वही 10 फीसदी को दुष्कर्म या अन्य तरह की यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है। लैंगिक भेदभाव महिलाओं को सशक्त बनाने में नकारत्मक रूप से प्रभावित करता है, और इसी भेदभाव के आधार पर यह सोच विद्यमान है कि राजनीति महिलाओं की समझ और इसके परिधि के बाहर की चीज है। गरीबी और अज्ञानता के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही महिलाओं के शिक्षा का स्तर बहुत कम हैं, जिसके कारण वे अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों से अनभिज्ञ रहती है। शिक्षित एवं जागरूक न होने के कारण वह अपने अंदर छिपी हुई शक्ति की महता को समझ नहीं पाती हैं। महिलाएं अपने पति या परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहती हैं। इस कारण वह कई बार चाहते हुए भी अपने विचार रखने में असमर्थ होती हैं। सरकार द्वारा अनेकों कानून बनाए गए है तथा महिलाओं को अधिकार दिए गए है। इन अधिकारों की जानकारी न होने के कारण महिलाएं अनेक लाभों से वंचित हो जाती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जहॉ एक तरफ महिला सशक्तीकरण आधुनिक युग के सर्वागीण विकास के लिए परम आवश्यक महसूस किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस दिशा में लाखों प्रयास के बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर नही नहीं, बल्कि विश्वस्तर पर बहुत सारी अवरोध उत्पन्न हो रही हैं।[8]

महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से केन्द्रशासित राज्य बेहतर हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक लक्ष्यद्वीप महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से प्रथम ओर नागालैंड दूसरे स्थान पर है। इसी तरह दमन और दीव तथा दादर नगर हवेली भी महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थान है। लेकिन गौर करें तो देश के अधिंकाश राज्य महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील और असुरक्षित है। यह भी कि महिलाएं सिर्फ सडकों व सार्वजनिक स्थानों पर ही असुरक्षित नहीं है बल्कि वह अपने घर परिवार और रिश्ते–नातेदारों की जद में भी असुरक्षित हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों उद्घाटित कर चुका है कि रिश्तेदारों द्वारा बलात्कार किए जाने की घटनाओं में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। दुष्कर्म की घटनाओं में तकरीबन 95 फीसदी मामलों में पीडित लड़की दुष्कर्मी को अच्छी तरह जानती पहचानती है। फिर भी उसके खिलाफ अपना मुंह नहीं खोलती, शायद उसे भरोसा नहीं होता है कि कानून व समाज उसे दण्डित कर पाएगा। यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट ' हिडेन इन प्लेन साइट' से उजागर हुआ है कि भारत में 15 साल से 19 साल की उम्र वाली 34 फीसदी विवाहित महिलाएं ऐसी है जिन्होने अपने पति या साथी के हाथों शारीरिक या यौन हिंसा झेली है । इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 15 साल से 19 साल तक की उम्र वाली 77 फीसद महिलाएं कम से कम एक बार अपने पति या साथी के द्वारा यौन संबंध बनाने या अन्य किसी यौन क्रिया में जबरदस्ती का शिकार हुई है। इसी तरह 15 साल से 19 साल की उम्र वाली लगभग 21 फीसदी महिलाओं ने 15 साल की उम्र से ही हिंसा झेली है। 15 साल से 19 साल के उम्र समूह की 41 फीसद लडकियों ने 15 साल की उम्र से अपनी मॉ या सौतेली मॉ के हाथों शारीरिक हिंसा झेली है जबकि 18 फीसदी ने अपने पिता या सौतेले पिता के हाथों शारीरिक हिंसा झेली है।

संख्यात्मक दृष्टि से कम प्रतिनिधित्व होने के बाबजूद यदि क्रियाशीलता के स्तर पर देखा जाये तो विषम परिस्थितियों में भी यहॉ की महिलाओं ने जहॉ एक ओर स्वाधीनता आंदोलन में पुरूषों के साथ बराबर कदम मिलाकर सहयोग दिया है वहीं दूसरी तरफ विघानसभा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका से महिला प्रतिनिधियों ने स्मरणीय हस्ताक्षर छोडे हैं। विघानसभा के साथ–साथ लोकसभा एवं राज्यसभा में भी देश की महिलाओं ने अहम भूमिका का निर्वहन किया है।

राजनीति में सक्रिय महिलाओं ने अपनी राजनीतिक कुशलता, कार्यक्षमता एवं प्रशासनिक विवेक से सिद्ध कर दिया है कि वे राजनीति के क्षेत्र में पुरूषों से किसी भी दृष्टि से कम नहीं है। लोकसभा की विभिन्न गतिविधियों में तथा सदन से बाहर सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में उनकी सक्रियता, सजगता एवं अभिरूचि से स्पष्ट होता है कि संख्या की दृष्टि से चाहे सदन में महिला प्रतिनिधित्व कम हो लेकिन प्रभाव व महत्व की दृष्टि से उनकी भूमिका उल्लेखनीय है। महिलाओं की प्रभावशाली भूमिका को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उनके कम प्रतिनिधित्व का कारण उनकी राजनीतिक कुशलता न होकर राजनीतिक दलों के पितृसत्तात्मक एवं रूढिवादी दृष्टिकोण के कारण कम महिलाओं को उम्मीदवार बनाना व देश में महिला जागरूकता में कमी है। कम प्रतिनिधित्व होने के बावजूद प्रदेश की सभी महिला प्रतिनिधियों ने पर्याप्त रूचि व सक्रियता के साथ विधानमण्डलीय कार्यवाहियों में भाग लिया है तथा सदन के भीतर तथा बाहर अपने विधायी दायित्यों को पूर्ण उत्तरदायित्व एवं सफलता के साथ पूरा करते हुए नारी के विषय में प्रचलित मिथ्या धारणाओं को खण्डित किया है। इससे इस बात के संकेत मिलते है कि जैसे–तैसे महिला शक्ति को उचित नेतृत्व, वातावरण , आर्थिक स्वतंत्रता , शैक्षिक जागरूकता का परिवेश तथा पर्याप्त संगठन मिलता जायेगा वैसे वे लोकसभा,

राज्यसभा व राज्यविधान सभाओं के कार्यों में सफलतापूर्वक अपनी भूमिका निर्वहन करने में सफल होगी।[9]

सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव

गौरतलब है कि भारतीय महिलाओं को अपराधों के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करने तथा उनकी आर्थिक तथा सामाजिक दशाओं में सुधार करने हेतु ढेर सारे कानून बनाए गए है। इनमे अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984, महिलाओं का अशिष्ठ रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, गर्भाधारण पूर्व लिंग–चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994, सती निषेध अधिनियम 1987, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006,[11] कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) अधिनियम 2013 प्रमुख हैं। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में 16 दिसम्बर, 2012 को हुई नृशंस सामूहिक बलात्कार की घटना के विरूद्ध राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित आक्रोश की पृष्ठभूमि में दंड विधि (संशोधन) 2013 पारित किया गया और यह कानून 3 अप्रेल, 2013 को देश में लागू हो गया, इस कानून में प्रावधान किया गया है कि तेजाबी हमला करने वालों को 10 वर्ष की सजा और बलात्कार के मामले में अगर पीड़ित महिला की मृत्यु हो जाती है तो बलात्कारी को न्यूनतम 20 वर्ष की सजा होगी, इसके साथ ही महिलाओं के विरूद्ध अपराध की एफआईआर दर्ज नहीं करने वाले पुलिसकर्मियों को दंडित करने का भी प्रावधान है। इस कानून के मुताबिक महिलाओं का पीछा करने और घूर–घूर कर देखनें को भी गैर जमानती अपराध घोषित किया है। साथ ही 15 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने को बलात्कार की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन त्रासदी है कि इन कानूनों के बावजूद भी महिलाओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश में घरेलू हिंसा, बलात्कार , कन्या भ्रूण हत्या, दहेज–मृत्यु, अपहरण और अगवा, लैंगिक दृव्यवहार और ऑनर किलिंग की घटनाएं लगातार बढ रही है।[10]

- महिलाओं को मानवाधिकारों के प्रति सजग किया जाये।
- सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, न्यायिक क्षेत्रों में महिलाओं की उचित सहभागिता मिले।
- महिलाओं के प्रति पारिवारिक सोच में परिर्वतन लाने हेतु भारतीय संस्कृति में महिलाओं से जुडे मूल्यों एवं मान्यताओं तथा सांस्कृतिक अपेक्षाओं में परिर्वतन लाने हेतु साहित्यकारों, दृश्य, श्रवण संचार माध्यमों की भूमिका को सक्षम एवं महत्वपूर्ण बनाया जायें।
- महिलाओं के सभी क्षेत्रों में विकास हेतु एक राष्ट्रव्यापी एजेंडा तैयार किया जाये जिसके द्वारा महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान दिया जा सके।
- लिंग परीक्षण एवं कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध के विरूद्ध कठोर वैधानिक प्रावधान शक्ति से लागू है।
- न्यायालयों की भूमिका को भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। फास्टट्रैक कोर्ट बने ताकि दुष्कर्मियों, महिला अपराधों के प्रति जिम्मेदार लोगों को जल्दी सजा दी जा सके।
- महिला प्रतिनिधियों को अपने दलगत भेदभाव भुलाकर लैंगिक मतभेद, घरेलू हिंसा, यौन अपराध, कन्या भ्रूण हत्याजैसे मुद्दों पर एकजुटता का परिचय देना।
- महिलाओं को जागृत करने के लिए एक सशक्त संगठन बनाया जाये, महिलाओं का कागजी प्रतिनिधित्व न करके सही रूप में प्रतिनिधित्व करे, उनमें एकता , साहस, जाग्रति पैदा करे, इससे उनकी राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सहभागिता में अत्यधिक वृद्धि होगी।
- स्वयं महिलाओं की स्वयं के प्रति सोच को अधिक सकारात्मक बनाने की आवश्यकता है, ताकि विषम परिस्थितियों में महिलाएं अपने अधिकारों का समर्पण न कर उनकी प्राप्ति हेतु संघर्षशील हो स्वंय को अबला से सबला के रूप में प्रतिष्ठित कर सके।[13]

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विश्वस्तर पर सभी राष्ट्र एवं सभी सम्प्रदायों को एक साथ विश्वास में लेकर महिला सशक्तीकरण के लिए परंपरागत पूर्वाग्रह एवं दकियानूसी विचारधाराओं को बदलना होगा।

निरक्षर महिलाओं को शिक्षित कर उनमें आत्म विश्वास जगाना होगा।

सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं को सच्चे मन से महिला संबंधी कुप्रथा को खत्म करने का प्रयास करना होगा।

विश्व के सभी महिला संगठनों को इस मसले पर एक मंच पर आना होगा।

महिला आरक्षण के साथ–साथ पुरूषों के मन में महिलाओं के प्रति उचित सम्मान जगाना होगा।

महिला आयोग को ज्यादा सशक्त बनाया जाय और जगह–जगह महिला उत्पीड़न रोकने के लिए कमेटियॉ गठित की जाए।

संदर्भ

1. अंसारी, एम.ए. 'महिला और मानवधिकार', जयपुर ज्योति, 2000, प्र0–301–302
2. www.firstpost.com/tag/violence.
3. प्रभात खबर, पटना, 21 जून 2012
4. प्रभात खबर, पटना, 7 जनवरी 2012
5. प्रभात खबर, पटना, 29 जनवरी 2012
6. राजस्थान पत्रिका, अलवर 18 मार्च 2018
7. राजस्थान पत्रिका, 6 मई 2006
8. www.wikepedia.in/cocial
9. स्वामी, भगवती , किशोर, सविता ' महिला सशक्तीकरण क्यों और कैसे? आर. बी.ए. पब्लिशर्स जयपुर, 2008, पृ 16
10. खण्डेला, मानचन्द्र,'महिला सशकितकरण, अरिहन्त पब्लिशर्स, हाउस, जयपुर, 2002, पृ.35–37